



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-196/2024

श्रीमती रमोती देवी पत्नी स्व० श्री हरीश कुमार ,
ग्राम- सौखोला (झलोड़ी),
पोस्ट- खिरखेत,
रानीखेत, (अल्मोड़ा)

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत,
जिला- अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या RNICA09025627 के सापेक्ष अधिक बिल आ रहा है जबकि उनका संयोजन BPL श्रेणी का है और उनके घर में केवल चार बल्ब के अलावा और कुछ नहीं है तथा उनके घर का खर्चा वृद्धा पेंशन व मजदूरी से चलता है। उन्होंने बिजली का बिल माफ कर आगे का बिल 300- 400 रु० तक का करवाने का निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 655 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत जिला-अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 04.10.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान SDO ने बताया कि वादी के निवेदन पर अगस्त 2020 में चेक मीटर लगाया गया था, जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया था। बिलिंग हिस्ट्री देखने पर जनवरी 2020, मार्च 2020 एवं मई 2020 में सामान्य से अधिक रिडिंग दर्शायी गयी है। यह प्रकरण डंप या जंप रिडिंग से संबंधित हो सकता है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई. कराकर विस्तृत आख्या 15

13/11/25

13/11/25

1

दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई की तिथि 25.10.2024 को नियत की गई थी।

3. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 25.10.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान SDO ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई. टैस्ट डिवीजन द्वारा की जा रही है और अगली सुनवायी तिथि/10 दिन के अंदर एम.आर.आई. रिपोर्ट के साथ आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि यदि एम.आर.आई. रिपोर्ट में मीटर जंम की रिपोर्ट आती है तो मीटर बदल दिया जाए और अगर रीडिंग डंप की रिपोर्ट आती है तो डंप रीडिंग को, डंप रीडिंग की अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लेब का लाभ देते हुए संशोधित बिल मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 13.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान SDO ने बताया कि विभाग की प्रयोगशाला में, मीटर की एम.आर.आई नहीं हो पा रही है। वादी से उनके द्वारा दिये फोन 9627921995 पर बात की गयी। फोन उनकी बेटी सुश्री योगिता ने उठाया। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी एक छोटे से कमरे में रहती हैं और 4 बल्ब के अलावा उनके विद्युत का उपभोग और कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका बिल रू0 119087रू0 आना संभव नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई. के लिए मीटर को मीटर मैक कंपनी में भेजा जाए तथा स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक भार के साथ एम.आर.आई. रिपोर्ट 10 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 27.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान SDO से फोन पर सुनवाई की गयी। उन्होंने बताया कि मीटर की लोकल टेस्टिंग बैंच रानीखेत में एम.आर.आई. करने की कोशिश की गयी परंतु एम.आर.आई. नहीं हो पायी। अब वह मीटर को एम.आर.आई. के लिए इलैक्ट्रिक टेस्टिंग बैंच अल्मोड़ा के लिए भेज रहे हैं। उनके द्वारा 20 दिन का समय मांगा गया। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम.आर.आई. इलैक्ट्रिक टेस्टिंग बैंच अल्मोड़ा में कराये अन्यथा की स्थिति में मीटर को मीटर मैक कंपनी को भेज कर मीटर की एम.आर.आई. कराकर 20 दिन के अंदर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 26.12.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान SDO ने बताया कि मीटर को एम.आर.आई. इलैक्ट्रिक टेस्टिंग बैंच अल्मोड़ा भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दी जायेगी।
7. मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री भास्कर पांडे, अवर अभियंता मय श्री राजेन्द्र सिंह उपखंड

13/1/25

13/1/25

आद ६८ १२६/२०२५

कलर्क उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मंच के निर्देशानुसार वादी के मीटर की टेस्टिंग डिवीजन अल्मोड़ा में एम.आर.आई. करने की कोशिस की गयी। विभाग ने बताया कि इस मीटर की सीरिज लगभग १८ साल पुरानी है, जिसके पोर्ट में एम.आर.आई. करने की सुविधा नहीं है। यह एच.पी.एल. मेक मीटर है जो की वर्तमान में खरीदा नहीं जा रहा है। उन्होंने मंच के निर्देशानुसार वादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वादी के परिसर में दो छोटे-छोटे कमरे हैं जिसमें दो-तीन बल्ब जलते हैं। टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार मीटर अधिकतर बिंदुओं पर फेल अंकित हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि मीटर की इंटीग्रेटी ठीक नहीं है और मीटर को खराब माना जा सकता है।

इस प्रकरण में विभाग द्वारा मीटर की एमआरआई० टेस्टिंग के लिए अधिक समय लेने के कारण वाद निर्धारित समय- ६० दिन में निस्तारित नहीं हो पाया।

आदेश

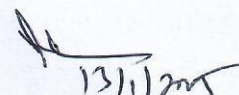
विभाग द्वारा मीटर टेस्टिंग में एमआरआई० नहीं होने तथा मीटर को खराब मानते हुए विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मीटर बदलने जाने से पहले सही मीटर के समय की रीडिंग का आधार लेकर संशोधित बिल १५ दिन के अन्दर वादी को उपलब्ध कराये तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या १५ दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

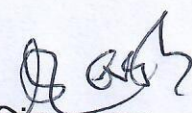
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी ३० दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, ८० वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - १३.०१.२०२५


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-201/2024

श्री बची सिंह पुत्र धन सिंह,
ग्राम- इटोला,
पोस्ट- गुरकांडे,
जिला-अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर0 11223406476 के सापेक्ष 4 माह का बिल 30026 रु0 आया है जो कि बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेंन मीटर सही बताया गया। उन्होंने मीटर की एमआरआई0 कराकर बिल ठीक करावाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 692 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.11.2024 में वादी की तरफ से श्री मोहन सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, ईईआर0 उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के मीटर में जून 2024 में 2613 यूनिट के सापेक्ष जुलाई 2024 में एकाएक 6604 यूनिट रिकार्ड की गई हैं जो कि 1 किलोवॉट लोड के लिए 1 महीने में आना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि मीटर को एमआरआई0 के लिए परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट प्रतिक्षित है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 11.12.2024 को नियत की गई थी।

13/11/25

13/11/25

प्राद 68 201/2024

3. मंच की अगली सुनवाई दिनांक 11.12.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर0 ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई. नहीं हो पा रही है और ना ही पूर्व के स्लॉट प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्होंने इसे जम्प रीडिंग का प्रकरण बताया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी का बिल सही कर 15 दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक— 26.12.2024 और फिर 13.01.2025 नियत की गयी थीं।
4. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी, का0 सहा0 द्वितीय ने बताया कि वादी का बिल रू0 27476 से संशोधित होकर रू0 3000 बना है जो सही है और देय है। इस बावत वादी को उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9456162737 पर बात की गई जिसको उनकी बेटी सुश्री शान्ति ने उठाया। उन्होंने कहा कि वह इस संशोधन से संतुष्ट हैं।

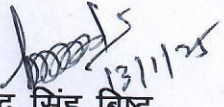
आदेश

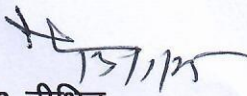
यह प्रकरण जम्प रीडिंग से संबंधित था जिसमें विभाग द्वारा बिल संशोधन कर दिया गया है। संशोधित बिल रू0 27476 से संशोधित होकर रू0 3000 बना है जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

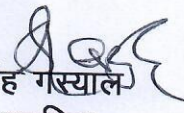
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.01.2025


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्थाल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-203/2024

श्री नन्द किशोर पुत्र श्री मोहन राम ,
ग्राम- सौखोला(झलोड़ी), पो0- खिरखेत,
तहसील- रानीखेत, जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

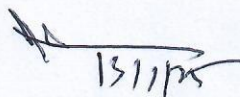
अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

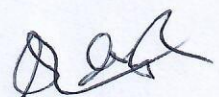
प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या RN1/CN19/063414 के सापेक्ष उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है जबकि उनके घर में दो बल्ब के अलावा कुछ और खर्चा नहीं है। उन्होंने बिल को माफ कर और आगे सुचारु रूप से करवाने का निवेदन किया है।
2. प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 694 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत जिला- अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 27.11.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान (एसडीओ) ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 होनी है जिसके लिए उन्हें समय दिया जाये। अगली सुनवाई की तिथि 11.12.2024 को नियत की गई थी।
4. मंच की सुनवाई दिनांक 26.12.2024 को वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान (एसडीओ) ने बताया कि वादी के परिसर में, मई 2024 में चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मैन मीटर सही पाया गया। उन्होंने बताया कि मंच के निर्देशानुसार मीटर को मीटर


13/11/25


13/11/25



वाद 60 23/2024

टैस्टिंग लैब में, एमआरआई0 के लिए भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट मंच की अगली सुनवाई तिथि से पहले प्रस्तुत कर दी जायेगी।

5. मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री भास्कर पांडे, अवर अभियन्ता मय श्री राजेन्द्र सिंह एसडीसी0 ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कराई गयी है जिसमें मार्च 2024 में 5171 रीडिंग के सापेक्ष मीटर रीडर द्वारा इसी महिने ली गई रीडिंग 1180 अंकित है जबकि मई 2024 में वास्तविक रीडिंग 5208 है। मीटर रीडर द्वारा इससे पहले की अवधि में वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग ली गई थीं। यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें बिल का संशोधन होना है।

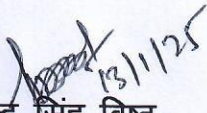
आदेश

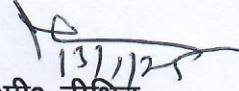
यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है अतः विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को, संबंधित अवधि में, वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए बिल संशोधित कर 10दिन के अन्दर वादी को उपलब्ध कराये, तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

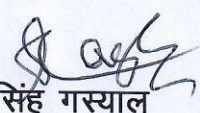
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 13.01.2025


भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक